न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

नाथू v/s शंकर

मु. नं. 35/2017

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	21/06/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। P.O. महोदय अन्य राजकार्य [प्रोटोकॉल ड्यूटी] हेतु अन्यत्र व्यस्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27.06.22 को पेश हो।
	27/06/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। बहस कैफियत रिपोर्ट पर प्रार्थी प्रतिवादी अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश अग्रिम दिनांक 07/07/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	07/07/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। बहस कैफियत रिपोर्ट के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा प्रस्तुत कैफियत आपत्ति का अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा मुख्यतः कैफियत रिपोर्ट की गुणावगुण पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करते हुए मुख्यतः तकनीकी बिन्दुओं मात्र के सन्दर्भ में आपत्ति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार कैफियत रिपोर्ट पर तहसीलदार आमेर के हस्ताक्षर के स्थान पर लघु हस्ताक्षर (C.S.) की आपत्ति प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत कैफियत रिपोर्ट को तहसीलदार आमेर की अनुपस्थिति में तैयार किया जाना बताया गया है जबकि प्रस्तुत कैफियत के अवलोकन अनुसार

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

य सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

नाथू बनाम शंकर

संख्या / वर्ष : 35 / 2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07/07/22	कुरेजात रिपोर्ट पर तहसीलदार कार्यालय के काउन्टर साईन (C.S.) नहीं होकर पूर्ण हस्ताक्षर अंकित है जो कि स्वयं प्रार्थी प्रतिवादी के कथन को खंडित करता है इसी प्रकार प्रार्थी प्रतिवादी के अन्य कथनानुसार कि-" प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी अंकित नहीं है, ना ही पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं कराये गये" इन्कारी कुरेजात रिपोर्ट पर अंकित है जिसके आधार पर भी कुरेजात रिपोर्ट की वैधता के सन्दर्भ मे आपत्ति की गई है, परन्तु कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार उक्त कुरेजात रिपोर्ट पर हस्ताक्षर बाबत प्रतिवादी/प्रार्थी की इन्कारी का नोट अंकित है जो कि प्रार्थी प्रतिवादी के कथन को खंडित करते हुए कुरेजात रिपोर्ट तैयारी पर प्रार्थी प्रतिवादी की उपस्थिति को दर्शाता है। अतः क्रम में जहाँ तक प्रश्न अप्रार्थी वादी की उपस्थिति का है, तो सन्दर्भ में प्रथमतः तो उक्त कुरेजात रिपोर्ट के सन्दर्भ में वादी की अनुपस्थिति अथवा इन्कारी का कोई नोट अंकित नहीं है तथा ना ही उक्त सन्दर्भ में कोई आपत्ति वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है अतः उपस्थिति (पक्षकारान की) के सन्दर्भ में प्रार्थी प्रतिवादी की आपत्ति खारिज की जाती है। इसके अतिरिक्त	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.P.O.

Scanned with OKEN Scanner

नाथु / शंकर

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दि
	07/07/22	श्री तहसीलदार आमेर व अधीनस्थ कर्मचारियों की मौके पर उपस्थिति व तहसीलदार आमेर के निर्देशन में कुर्रेजात रिपोर्ट की बनाई भी इस तथ्य के अधीन स्वीकृत की जाती है कि प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर तहसीलदार आमेर व गिरदावर सर्किल तथा पटवारी हलका के हस्ताक्षर अंकित है तथा स्वयं प्रार्थी प्रतिवादी की उपस्थिति भी हस्ताक्षर की मनाही के नोट से प्रदर्शित है। एक अन्य आपत्ति के रूप में प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा अंकित किया गया है कि प्रार्थी को एकजाई भूमि नहीं देकर विभिन्न खंडों में/ बिखरे टुकड़ों के रूप में भूमि प्रदत्त की गई है, जबकि प्रस्तुत कुर्रेजात अनुसार प्रार्थी को प्रदत्त की भूमि विभिन्न टुकड़ों में नहीं दी जाकर हिस्सानुसार एकजाई रूप से प्रदान की गई है, जोकि स्वयं प्रार्थी की आपत्ति को खंडित करता है तथा इसी प्रकार गै.मु. चाह भूमि (ख.नं. 1537) को सुविधा के संतुलन हेतु शामलाती दर्ज किया जाना भी न्यायिक व बुद्धि के दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होकर प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट की उपयुक्तता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट विधिवत रूप से व उच्चतर गुणवत्ता अनुरूप प्रस्तुत की गई है जिसके दस्तावेजों में तकनीकी (औपचारिक) आपत्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई मान्य विधिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई मान्य बेहतर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्तुत कुर्रेजात	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

...य सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

नाथू बनाम शंकर

संख्या / वर्ष : 35/2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07/07/22	रिपोर्ट की तुलना में पक्षकारान के हितों का उच्चतर प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। अतः तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात प्रस्ताव विधिसम्मत प्रतीत होने से प्रस्तुत कुरेजात अनुसार वाद बाबत अंतिम डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner